

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राजस्थान)

क्रमांक : 03/स्था/2021

दिनांक : 05.01.2021

आदेश

मैं अभिलाषा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 केन्द्रीय अधिनियम संख्या 02, 1974 की धारा 14 (1) एवं धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(1)न्याया/2020 दिनांक 31.10.2020 के अनुसरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पृष्ठांकन क्रमांक Gen./II/05/2017/1492 दिनांक 19.11.2020 के अनुसरण में एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय भीलवाड़ा के अनुमोदन पत्रांक स्था/नि/225/21 दिनांक 05.01.2021 के अनुसरण में भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर भीलवाड़ा के नवीन क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न आदेश पारित करती हूँ।

नीचे अंकित न्यायालय का नवीन क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पुलिस आरक्षी केन्द्र	अन्य अधिनियम
01	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर भीलवाड़ा	थाना रायपुर सम्पूर्ण,	पुलिस आरक्षी केन्द्र रायपुर के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिनियम जिनका श्रवणाधिकार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालय को प्रदत्त हैं

नोट :-

01. उक्त आदेश दिनांक 05.01.2021 से प्रभावी होगा।

02. पुलिस आरक्षी केंद्र रायपुर की आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन की प्रतिकक्षा में लंबित समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आदेश के तहत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगपुर भीलवाड़ा से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर भीलवाड़ा को अंतरित की जायेगी एवं लंबित प्रथम सूचनाओं से संबंधित आरोपपत्र/अंतिम प्रतिवेदन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर भीलवाड़ा के न्यायालय में ही पेश किये जायेंगे।

03. पुलिस आरक्षी केंद्र रायपुर में व्युत्पन्न होने वाले प्रकरणों के संबंध में उक्त आदेश के अलावा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगपुर भीलवाड़ा का क्षेत्राधिकार पूर्ववत रहेगा

Sd 05/01/21
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुख्य भीलवाड़ा मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक 63

दिनांक 05.01.2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही:-

- 1- श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- 2- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा
- 3- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर/गंगापुर जिला भीलवाड़ा
- 4- पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का प्रसारण भीलवाड़ा जिले के सम्बन्धित पुलिस थानो को करें ।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी भीलवाड़ा
- 6- अभियोजन अधिकारी न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर भीलवाड़ा
- 7- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
- 8- पुलिस आरक्षी केन्द्र रायपुर/गंगापुर
- 8- अध्यक्ष बार एसोशिएशन भीलवाड़ा/गंगापुर
- 9- स्थापनानुभाग न्यायालय हाजा
- 10- कार्यालय प्रति

Abdulasha
5/1/21

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य भीलवाड़ा मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)